राम चन्द्र चौधरी बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 2730/1997)

09.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री बजरंग लाल शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री एस.एन. कुमावत, अधिवक्ता वास्ते इन्टरविनर।
श्री समित विश्नोई, अधिवक्ता वास्ते राज्य।
श्री अजीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्ष।

प्रतिपक्षीगण/ राज्य सरकार की ओर से श्री एम.पी. जैन, सहायक निबन्धक (विधि) सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर का अति. शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिकथित किया गया है कि आर.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के चुनाव माह दिसम्बर,2006 में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त शपथ-पत्र को समक्ष रखते हुए मैंने रिट याचिका में अंकित तथ्यों का अनुशीलन किया। रिट याचिका में प्रार्थी ने आर.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के चुनाव कराने का अनुतोष याचित किया है, ऐसी स्थिति में जबकि माह दिसम्बर,2006 में आर.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है मैं इस रिट याचिका को निस्तारित करते हुए प्रतिपक्षीगण को निर्देश देता हूं कि वे आर.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के चुनाव आवश्यक रूप से माह दिसम्बर,2006 तक पूर्ण करा लेगें और यदि कोई अरिहार्य स्थिति पैदा होती है और चुनाव माह दिसम्बर,2006 तक कराये जाना सम्भव नहीं होता है तो पहले इस न्यायालय से चुनाव स्थगित कराने के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करेगें। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बिना इस न्यायालय की पूर्वानुमति के आर.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के चुनाब किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किए जावेगें। इस आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)